



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-3140/MRLY/101/2026-RU-IV

दिनांक: 16/04/2026

महाप्रबंधक,
उत्तर रेलवे,
बड़ौदा हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली- 110001
ई-मेल: gm@nr.railnet.gov.in

विषय: उत्तर रेलवे, सवारी डिब्बा कारखाना में सीनियर टेक्नीशियन (MCM)/टेक्नीशियन (कारपेंटर) पदों पर पदोन्नति/समायोजन के दौरान ST आरक्षण रोस्टर के कथित उल्लंघन होने के संबंध में - श्री रतन लाल मीणा, टेक्नीशियन-1 (कारपेंटर), सवारी डिब्बा कारखाना, आलमबाग, लखनऊ का दिनांक निरंक का पत्र।

संदर्भ: 1. आयोग की नोटिस दिनांक 10.03.2026 (प्रति संलग्न)

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2026 को 12:00 Hrs बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

(Y.P. Yadav/यो.प्र.यादव)
निदेशक /Director

दूरभाष सं.: 011-24615012
ई-मेल: ru4-hq@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:-

श्री रतन लाल मीणा,
टेक्नीशियन-1 (कारपेंटर),
सवारी डिब्बा कारखाना,
आलमबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
shyoganram@gmail.com
Mobile No:8107372247

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

माननीय सदस्य (डॉ. आशा लाकड़ा) के निजी सचिव
एन.आई.सी को अपलोड करने हेतु